मनसबदारी प्रथा

Ashish Kumar Thakur
B.A. II History (S) - II
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur.

मनसब एक फारसी शब्द है। जो मंसिब से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ 'पद' होता है। भारत में इस व्यवस्था का जन्मदाता अकबर थे। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष अर्थात 1575 में आरम्भ किया है।
मनसबदारी व्यवस्था विश्व में सबसे पहले मंगोल नेता चंगेज द्वारा शुरू किया गया था। अर्थात् अकबर की यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित था, लेकिन अकबर ने इसे भारतीय पद्धति के अनुकुल बनाया।

अकबर ने मनसबदारी प्रथा के अन्तर्गत प्रशासन की तीन प्रमुख अंग - सामान्य वर्ग (अमीर), सेना तथा नौकरशाही (सिविलियन) तीनों का एकीकरण किया गया। अर्थात मुगल काल में मंत्री से लेकर एक छोटा कर्मचारी तक सभी मनसबदार कहलाते थे।

प्रत्येक मनसबदार का रैंक दो अंको मे व्यक्त होता था। पहला अंक जात रैंक और दुसरा रैंक सवार रैंक होता था।

(i) जात रैंक :- जात रैंक से किसी भी अधिकारी की श्रेणी, उसका वेतन एंव उसके अधिकारी का बोध होता था।

(ii) सवार रैंक - इसमे यह निर्धारित होता था कि वह अधिकारी अपने पास कितनी संख्या मे घुड सवार रखेगा। एक सवार रैंक का अंक दो घोड़े होते थे।

मनसबदारों की तीन श्रेणियाँ होती थी।

(a) सवार रैंक, जात रैंक के बराबर - $\frac{5000}{5000}$

(b) सवार रैंक जात रैंक के आधा या आधे से अधिक - $\frac{5000}{2500+}$

(c) सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम - $\frac{5000}{2500-}$

किसी भी स्थिति मे सवार रैंक जात रैंक से अधिक नही हो सकता था।

औरंगजेब ने युद्ध के समय मनसबदारों की सवारों की संख्या बढ़ाने के लिए सवार मनसबदार की संख्या जात मनसब के मुकाबले अधिक कर दी थी, जिसे "मशरूत मनसब' कहा जाता था।

Ashish

अबुल फजल के अनुसार मनसबदारों की संख्या 66 श्रेणियों की, जिसमें 33 श्रेणियाँ ही प्रचलित थी।
सामान्यतः 10 से 10 हजार के बीच ही जात रैंक प्रदान किया जाता था। अपवाद स्वरूप दारा शिकोह 1657 में 60 हजार का जात रैंक का मनसबदार घोषित) मानसिंह, मिर्जा अजीज कोका ऐसे लोगों को 10 हजार से अधिक जात रैंक दिए गए थे।

इस व्यवस्था में सामान्यतः 5 हजार जात रैंक से अधिक की मनसबदारी नहीं दी जाती थी। जात रैंक के आधार पर मनसबदारों को तीन श्रेणी में बताया गया।

(i) 10 से 500 तक जात तक - मनसबदार } कहलाते
(ii) 500 से 2500 तक जात - अमीर } थे।
(iii) 2500 से अधिक जात तक - उमरा }

मनसबदारों की नियुक्ति में मीर बख्शी बादशाह के समक्ष प्रत्याशी को प्रस्तुत करता था तथा बादशाह इसकी नियुक्त करता था।
नियुक्ति में खानजादों को (खानदानी लोग) प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन इस व्यवस्था में प्रतिभा की भी गुंजाइश देखा जाता था।
कम जात रैंक वाले मनसबदार प्रोन्नति पाकर अधिक जात रैंक प्राप्त कर सकते थे।

इस अवस्था में पहली बार परिवर्तन जहाँगीर के समय आया, जिसमें मनसबदारों को जात रैंक बढ़ाये बिना उन्हें सवार बढ़ाने के लिए उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया था।

(i) अक अस्पा - इसके अन्तर्गत सवार की संख्या के बराबर घुड़सवार सैनिक रखना होता था।

(ii) दू-अस्पा - इसमें सवार मनसबदार से दो गुणा घुड़सवार रखने होते थे।

(iii) सि-अस्पा - इसमें सवार मनसबदार से तीन गुणा सैनिक रखना था।

इस परिवर्तन के कारण मनसबदारों की जात संख्या में वृद्धि किए बिना घुड़सवारों की संख्या में वृद्धि करना संभव हो पाया।

Scanned with CamScanner

अत: इस प्रकार से जहाँगीर द्वारा लगाये गए प्रथा में मनसबदारों में हुए उत्पन्न भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास था जैसे जो मनसबदार को 5000 जात रैंक का वेतन मिलता था अब उसी खर्चे में उसे 20,000 सैनिक रखना होता था. ताकि उसके पास जो पैसे बचे वह अपने मन से खर्च करेंगे।

शाहजहाँ ने इस व्यवस्था में एक नई बात जोड़ी 'महाना वेतन प्रणाली' इसके अन्तर्गत मनसबदारों को पूरे वर्ष का ना वेतन देकर 6, 8, या 10 महीने का ही वेतन दिया जाता था और इसी अनुपात में उनके घुड़सवारों की संख्या में कमी कर दी जाती थी।

अकबर के समय में मुगल शाहजादे के अतिरिक्त शेष सभी मनसबदारों में राजपूतों का पदानुक्रम सबसे उपर था।

अकबर के समय कुल मनसबदारों का 9% ही हिन्दु थे एवं कुल मनसबदारों का 75% विदेशी अप्रवासी के वंशज थे। अकबर की मृत्यु के समय कुल मनसबदारों की संख्या 1600 थी।

औरंगजेब के समय कुल मनसबदारों में 33% हिन्दु थे और औरंगजेब की मृत्यु के समय कुल मनसबदारों की संख्या 14,149 थी।

Ashish